निबंधित

पत्रांक 5(स0) अपील (तिरहुत फूड्स) 29/2016 दिनांक,..............

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री तिरहुत फूड्स
प्रो० - श्री राम शंकर त्रिवेदी
पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण त्रिवेदी
निवास + पो० - रामपुर दयाल, बांद्रा ब्लॉक
थाना - पियार, जिला - मुजफ्फरपुर

कृपया शाखा
कृपया
प्रारूपित
2.7.18

विषयः– दायर अपीलवाद 29/2016 में पारित आदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक .... बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:–

विश्वासभाजन,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2801 दिनांक 03.07.18

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:–

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटन

ज्ञापांक............... दिनांक.....................

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटन

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 29/2016

सर्वश्री तिरहुत फूड्स, औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

23.05.2018

21/6/2018

प्रश्नगत अपील सर्वश्री तिरहुत फूड्स, औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 784 दिनांक 16.04.2016 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थापित है। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर में पत्रांक 1433 दिनांक 26.06.13 द्वारा 5400 वर्गफीट भूमि Fruit Pulp, Besan Saatu के उत्पादन संबंधी उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट सं0– डी0–12 आवंटित किया गया था। आवंटित भूमि पर पानी लगा है, जिसके सूख जाने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। उक्त भूमि पर मिट्टी भराई की गयी है, जिसमें 3.00 लाख रू0 व्यय कर चुके है, फिर भी पानी लगा हुआ है। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 784 दिनांक 16.04.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सर्वश्री तिरहुत फूड्स, औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर में पत्रांक 1433 दिनांक 26.06.13 द्वारा 5400 वर्गफीट भूमि Fruit Pulp, Besan Saatu के उत्पादन संबंधी उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट सं0– डी0–12 आवंटित किया गया था। आवंटित स्थल पर उद्योग स्थापना की दिशा में कोई कार्य नहीं करने के कारण पत्रांक 1009 दिनांक 24.04.14, पत्रांक 935 दिनांक 16.05.15 एवं पत्रांक 45 दिनांक 06.01.16 के द्वारा पृच्छा की गयी। लगभग ढ़ाई वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के उपरान्त भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने का एक मात्र कारण स्थल पर पानी लगा होना बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि उद्यमी की उद्योग स्थापना में कोई अभिरुची नहीं है। अंत में आदेश ज्ञापांक 784 दिनांक 16.04.2016 द्वारा आवंटित भू–खंड को रद्द कर दिया गया।

उभय पक्षों के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है 'बियाडा' द्वारा सर्वश्री तिरहुत फूड्स, औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर में पत्रांक 1433 दिनांक 26.06.13 द्वारा 5400 वर्गफीट भूमि Fruit Pulp, Besan Saatu के उत्पादन संबंधी उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट सं0– डी0– 12 आवंटित किया गया था। इकाई द्वारा भूमि आवंटन के लम्बी अवधि के बाद भी उद्योग स्थापना के लिए कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, जबकि बियाडा द्वारा उद्योग स्थापना हेतु समय–समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी निबंधित उत्पाद

का उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाना भूमि आवंटन आदेश में निहित शर्तों का उल्लंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता भूमि पर अन्य उद्देश्य के लिए मात्र कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। सुनवाई के कम में यह स्पष्ट हुआ कि इकाई को आवंटित भूमि उद्योग की स्थापना हेतु अनुकूल नहीं है। अधोहस्ताक्षरी का अभिमत है कि इकाई द्वारा जमा किया गया सम्पूर्ण राशि बियाडा उन्हें वापस कर दें। यह सहानुभूतिपूर्वक लिया गया निर्णय है जिसे अन्य वादों हेतु पूर्वोधारण नहीं समझा जाए सम्प्रति साक्ष्यों के आलोक में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का कार्यकारी निदेशक द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 784 दिनांक 16.04.2016 अनुकूल है।

तद्नुसार प्रश्नगत अपीलीय आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

21/6/2016

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित्त एवं शुद्धित,

21/6/2016

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

84

Osd leater 1